

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

3-4थी मंजिल, एन.सी.यू.आई बिल्डिंग,
सीरी सांस्थानिक क्षेत्र, अगस्त क्रान्ति मार्ग, नई दिल्ली-
110016

संदर्भ सं. एपीडा/सीएम/1/2025-बीएफडी

दिनांक: 21/03/2025

परिशिष्ट

विषय: बाजार आसूचना प्रकोष्ठ के लिए दिनांक 11/03/2025 की निविदा के संबंध में बोली पूर्व बैठक

बोली-पूर्व बैठक के दौरान उठाए गए प्रश्नों के संबंध में निर्णय निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	वर्तमान प्रावधान और प्रश्न	एपीडा का निर्णय
1	पात्रता का मूल्यांकन पैरा 4.2.2 एजेंसी को पिछले पांच वित्तीय वर्षों में से किसी भी तीन वर्षों के दौरान समान प्रकार के परामर्श संचालन से 3,00,00,000/- रु. (तीन करोड़ रुपये मात्र) की औसत वार्षिक परामर्श शुल्क अर्जित करना होगा। प्रश्न: मैसर्स केपीएमजी ने एजेंसियों के चयन मानदंड में परामर्श शुल्क की राशि बढ़ाने का अनुरोध किया।	कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं।
2	पैरा 4.2.3 प्रश्न: क्या सहायता संघ और संयुक्त उद्यम की अनुमति है	नहीं, सहायता संघ और संयुक्त उद्यम की अनुमति नहीं है।
3	पैरा 4.2.7 प्रश्न: क्या परियोजना के लिए एसोसिएट्स की कोई विशेष आवश्यकता है? अनुभव के वर्षों की संख्या।	बोली में पहले से ही निर्दिष्ट।
4	पैरा 5.1 (क) (iv) "मूल्य निर्धारण विश्लेषण: मासिक आधार पर देशीय और वैश्विक कीमतों की निगरानी और पूर्वानुमान।" प्रश्न: क्या इसे देशीय और वैश्विक कीमतों का पूर्वानुमान लगाना चाहिए, क्योंकि कीमतों के बारे में पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं हो सकता है।	पैरा 5.1 (क) (iv) इसे इस प्रकार पढ़ा जाए: मूल्य निर्धारण विश्लेषण: मासिक आधार पर देशीय और वैश्विक कीमतों की प्रवृत्तियों की निगरानी और पूर्वानुमान।
5	पैरा 8.3: प्रश्न: मूल्यांकन हेतु अंकन मानदंड 70:30 के स्थान पर 80:20 होगा।	कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं।
6	पैरा 8.3.4: कृपया अंकों के आबंटन को स्पष्ट करें:	संशोधित तालिका संलग्न है।

पैरा 8.3.4 को इस प्रकार पढ़ा जाए प्रस्तुति के अंक निम्नलिखित क्षेत्रों में क्रेडेंशियल के लिए दिए जाएंगे:		
क्र.सं.	क्षेत्र	अधिकतम अंक
(i)	असाइनमेंट को करने के लिए अवधारणा और कार्यप्रणाली, जिसमें एजेंसी की शक्तियों पर प्रकाश डाला गया हो , जिसमें बैक-एंड समर्थन भी शामिल हो।	50
(ii)	भारत सरकार/अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठनों के लिए राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले पांच वर्षों के दौरान समान कार्य करने का अनुभव: (क) तीन परियोजनाओं तक-----5 अंक (ख) चार परियोजनाएँ-----8 अंक (ग) पांच परियोजनाएँ और इससे अधिक-----10 अंक	10
(iii)	टीम लीडर का अनुभव: (क) 10 वर्ष तक -----4 अंक (ख) 10 वर्ष से अधिक -----5 अंक	5
(iv)	टीम एसोसिएट्स का अनुभव (क) 3 वर्ष तक4 अंक (ख) 3 वर्ष से अधिक5 अंक	5
7	परिशिष्ट प्रश्न: ट्रांसग्राफ और पीडब्ल्यूसी: कृपया निम्नलिखित किस्मों को स्पष्ट करें (i) आम और (ii) काजू (iii) जैविक उत्पाद	निर्यात क्षमता वाली आम , काजू और जैविक उत्पादों की वाणिज्यिक किस्मों को फोकस उत्पादों के अंतर्गत शामिल किया गया है। सभी फोकस उत्पादों के लिए निर्यात के आंकड़ों का संदर्भ लिया जा सकता है। संदर्भ के लिए संशोधित परिशिष्ट संलग्न है।

परिशिष्ट

तालिका-1: एपीडा बास्केट के चिन्हित फोकस उत्पाद।

वर्ग	उत्पाद
ताजे फल (6)	केला, आम, अनार, अंगूर, अनानास और संतरा
ताजा सब्जियाँ (3)	आलू, हरी मिर्च और शिमला मिर्च और भिंडी
अन्य प्रसंस्कृत खाद्य (7)	मूंगफली, मखाना, निर्मित सॉस, जूस और पल्प, निर्मित अनाज (बिस्कुट, पापड़, पास्ता आदि)
प्रसंस्कृत फल (1)	खीरा और ककड़ी
काजू (1)	काजू

पशु उत्पाद (4)	शहद, दूध उत्पाद (घी, पनीर), टेबल अंडे, गोजातीय मांस
अनाज (1)	बासमती चावल, गैर-बासमती चावल, मक्का
जैविक उत्पाद	जैविक उत्पाद (10 संभावित उत्पाद भेजे जाने हैं)

तालिका-2: प्रमुख निर्यात गंतव्यों की सूची

क्षेत्र	देश
अफ्रीका (5)	मिस्र, दक्षिण अफ्रीका, केन्या, सेनेगल
यूरोपीय संघ (6)	नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, बेल्जियम
आसियान (5)	वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर
मध्य पूर्व (7)	सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इराक, ईरान, ओमान, कतर,
नाफ्टा (2)	कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका
लैटिन अमेरिका (1)	ब्राज़िल
सीआईएस (3)	रूस, उज़बेकिस्तान, जॉर्जिया
दक्षिण एशिया (3)	बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका
पूर्वोत्तर एशिया (3)	चीन, जापान, दक्षिण कोरिया
अन्य यूरोपीय देश	ब्रिटेन, तुर्की
ओशिनिया (1)	ऑस्ट्रेलिया

महत्वपूर्ण तिथि:

विधिवत पूर्ण बोलियां जमा करने की तिथि और समय **08/04/2025 (मंगलवार)** को दोपहर **2:00** बजे तक बढ़ा दिया गया है।